NEXT IAS

दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए भारत में कानूनी प्रवासन का लाभ उठाना

जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए भारत में कानूनी प्रवासन का लाभ उठाना

संदर्भ

- उच्च आय वाले देशों में श्रम की कमी को दूर करने तथा धन प्रेषण और कौशल विकास के माध्यम से अपने आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए, भारत स्वयं को वैश्विक प्रतिभा केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए कानूनी प्रवासन चैनलों का उपयोग कर सकता है।

भारत में प्रवासन के बारे में

- यह एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक घटना है, जिसमें आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की गतिविधियाँ शामिल हैं।
- यह देश के जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रवास के प्रकार	
आंतरिक प्रवास	• देश के भीतर आवागमन (अंतर-राज्यीय और अंतर-राज्यीय)। • **प्राथमिक धाराएँ:** ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से शहरी, शहरी से शहरी और शहरी से ग्रामीण।
अंतर्राष्ट्रीय प्रवास	• राष्ट्रीय सीमाओं के पार आवागमन (कार्य , शिक्षा या शरण के लिए) • इसमें आप्रवासन (किसी देश में जाना) और उत्प्रवासन (किसी देश से बाहर जाना) शामिल है।
स्वैच्छिक प्रवास	• अपनी इच्छा से यात्रा (बेहतर आर्थिक अवसरों या जीवनशैली में सुधार के लिए)
जबरन/अनैच्छिक प्रवास	• यह संघर्ष, प्राकृतिक आपदाओं या उत्पीड़न के कारण होता है। • इसमें शरणार्थी, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति (IDPs) और शरण चाहने वाले शामिल हैं।
मौसमी/अस्थायी प्रवास	• यह मौसमी कार्य पर आधारित है, जैसे कि फसल कटाई के मौसम में कृषि मजदूरों का स्थानांतरण।
रिवर्स माइग्रेशन	• शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर वापसी
कानूनी प्रवासन	• अधिकृत चैनलों, जैसे कार्य वीज़ा, छात्र वीज़ा, या परिवार पुनर्मिलन कार्यक्रम के माध्यम से व्यक्तियों का सीमा पार आवागमन।
अवैध प्रवास	• इसमें किसी विदेशी देश में अनधिकृत प्रवेश या निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहना शामिल है, जो प्रायः आर्थिक कठिनाई, संघर्ष या उत्पीड़न के कारण होता है।

भारत के लिए वैध प्रवास मार्गों की आवश्यकता

- **श्रम की कमी:** उच्च आय वाले देशों में 2030 तक 40-50 मिलियन लोगों का संचयी श्रम अंतराल होने का अनुमान है, जो 2040 तक बढ़कर 120-160 मिलियन हो जाएगा।
  - यह औद्योगिक श्रमिकों, स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों, शिक्षकों, इंजीनियरों और शोधकर्त्ताओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है।

- **अप्रयुक्त क्षमता:** भारतीय प्रवासी 30 मिलियन से अधिक हैं, जिनमें प्रवासी प्रतिवर्ष 125 बिलियन डॉलर (देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3%) से अधिक धन भेजते हैं।
  - भारत के प्रवासी भारत की जनसंख्या का लगभग 1.3% हिस्सा हैं, जो मेक्सिको (8.6%), फिलीपींस (5.1%), या बांग्लादेश (4.3%) से अत्यधिक कम है।
- **धन प्रेषण को बढ़ावा देना और गरीबी को कम करना:** 71 निम्न आय वाले देशों के बीच किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि धन प्रेषण में 10% की वृद्धि से गरीबी में 3.5% की कमी आई है।
- **कौशल हस्तांतरण और नवाचार:** विदेशी रोजगार कौशल हस्तांतरण, उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देता है, जिससे भारत और गंतव्य देशों दोनों को लाभ होता है।
- **द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना:** कानूनी प्रवास मार्ग भागीदार देशों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ कर सकते हैं, जिससे पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान हो सकता है।

प्रवासियों की क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रमुख सुझाव

- **संस्थागत ढाँचे की स्थापना:** यह नए गंतव्य बाजारों की खोज करने, द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करने और उद्योग-व्यापी आपूर्ति-माँग कौशल मिलान को आश्वस्त करने के लिए विदेश मंत्रालय के केंद्रीय प्रवासन विभाग को मजबूत करता है।
- **कौशल और मान्यता प्रणालियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करना:** इसमें विदेशी भाषाओं और वैश्विक कौशल को पढ़ाना, महत्त्वपूर्ण गलियारों के साथ पारस्परिक मान्यता समझौतों के लिए अभियान चलाना और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संयुक्त प्रमाणन प्राप्त करना शामिल हो सकता है।
- **वित्तीय तंत्र को आसान बनाना:** आवश्यक कौशल और प्रमाणन प्राप्त करने और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने से जुड़ी लागत कई संभावित प्रवासियों के लिए निषेधात्मक हो सकती है - ये GCC देशों के लिए 1-2 लाख रुपये से लेकर यूरोप के लिए 5-10 लाख रुपये तक हो सकती हैं।
- **मौजूदा मॉडलों से सर्वोत्तम अभ्यास:** नौकरशाही वीजा बाधाओं को हटाने, सामाजिक-सांस्कृतिक एकीकरण को सुविधाजनक बनाने और भारतीय योग्यताओं की मान्यता को सुदृढ़ करने के लिए बातचीत करना। उदाहरण के लिए:
  - फिलीपींस केंद्र, राज्य क्षेत्रीय कार्यालयों और मेजबान देशों में प्रवासी श्रमिक कार्यालयों में एक मॉडल प्रदान करता है।
  - फिलीपींस अपने केन्द्र, राज्य क्षेत्रीय कार्यालयों तथा मेजबान देशों में प्रवासी श्रमिक कार्यालयों में एक मॉडल प्रस्तुत करता है।
- **नैतिक भर्ती के लिए उद्योग मानकों की स्थापना:** भारत के विदेशी भर्ती क्षेत्र का समर्थन करने और वर्तमान विखंडन और विनियमन की कमी को दूर करने के लिए एक गतिशीलता उद्योग निकाय की स्थापना की आवश्यकता है।
  - यह नैतिक भर्ती के लिए उद्योग मानक निर्धारित कर सकता है और योग्यता को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के साथ संरेखित करने के लिए कार्य कर सकता है।
- **एक मजबूत सामाजिक कल्याण ढांचा स्थापित करना:** भारत न्यूनतम वेतन आश्वासन, अनुबंधों को मानकीकृत करने, समय पर वेतन वितरण और सुरक्षित रहने की स्थिति सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच, कानूनी सहायता और कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार या अनुबंध उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए तंत्र प्रदान करने के लिए मानदंड स्थापित कर सकता है, जो ILO के दिशा-निर्देशों पर आधारित है।

- **लौटने वाले प्रवासियों के लिए समर्थन को प्राथमिकता देना:** भारत को समाज और अर्थव्यवस्था में उनके सफल पुनः एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए लौटने वाले प्रवासियों के लिए समर्थन को प्राथमिकता देनी चाहिए।
  - लौटने वाले प्रवासी मूल्यवान कौशल और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव लाते हैं जो स्थानीय विकास और आर्थिक वृद्धि में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

नीति अनुशंसाएँ

- **एकीकृत प्रवास नीति:** भारत में समर्पित राष्ट्रीय प्रवास नीति का अभाव है। एसडीजी लक्ष्यों और ILO सम्मेलनों के साथ संरेखित एक राष्ट्रीय प्रवास और गतिशीलता नीति महत्त्वपूर्ण है।
- **प्रवासी संसाधन केंद्र:** स्रोत और गंतव्य दोनों क्षेत्रों में प्रवासी सहायता डेस्क का विस्तार करें।

सरकारी पहल

- **ई-माइग्रेट पोर्टल और गंतव्य देशों के साथ समझौता ज्ञापन:** इसका प्रबंधन विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जो विदेशों में रोजगार की खोज कर रहे भारतीय श्रमिकों के लिए सुरक्षित और कानूनी प्रवास की सुविधा प्रदान करता है।
- **प्रवासन पैटर्न के अनुरूप कौशल विकास:** प्रवासियों को अक्सर निर्माण, आतिथ्य, घरेलू कार्य और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में नियोजित किया जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और कौशल भारत मिशन जैसी पहलों का उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय श्रमिकों की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है।
- **विश्व के लिए भारत कार्यक्रम:** यह अन्य देशों, विशेष रूप से विकासशील देशों को विकास सहायता और क्षमता निर्माण प्रदान करने के लिए भारत द्वारा की गई विभिन्न पहलों को संदर्भित करता है।
  - ये कार्यक्रम प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रशिक्षण और भारत की विशेषज्ञता को साझा करने जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि अन्य देशों को उनके विकास लक्ष्यों में प्रगति करने में मदद मिल सके।

निष्कर्ष

- कानूनी प्रवास मार्गों का रणनीतिक रूप से लाभ उठाकर, भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश की पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकता है, वैश्विक श्रम की कमी को दूर करते हुए घरेलू विकास को बढ़ावा दे सकता है।
- यह दृष्टिकोण न केवल भारत को वैश्विक प्रतिभा केंद्र के रूप में स्थापित करता है, बल्कि प्रेषण और कौशल संवर्धन के माध्यम से सतत विकास और गरीबी उन्मूलन भी सुनिश्चित करता है।

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारत कौशल विकास, वैश्विक श्रम की कमी और धन प्रेषण द्वारा प्रेरित विकास जैसी कठिनाइयों से निपटते हुए, अपने जनसांख्यिकीय लाभांश को अधिकतम करने के लिए कानूनी प्रवासन चैनलों का सफलतापूर्वक लाभ कैसे प्राप्त कर सकता है?

Source: IE